न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 29/2017

प्रार्थी:–

विकास अधिकारी ग्राम पंचायत रानी
जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण:–

1. लीला पत्नि भंवरलाल
2. रेखा पुत्री भंवरलाल जातिगण दशातरी निवासी बिजोवा तहसील रानी
3. सन्तोष पत्नि विजयगिरी जाति गोस्वामी निवासी बिजोवा तहसील रानी
4. ग्राम पंचायत बिजोवा

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

पंचायत प्रसार अधिकारी, कलेक्ट्रेट, पाली
श्री महेन्द्र नारायण ओझा, विद्वान अभिभाषक 1 से 3

–: निर्णय :–

दिनांकः– 26/2/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, बिजोवा द्वारा राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 267 के उप नियम 2(क) के तहत जारी पट्टा संख्या 1893 वर्ष 1972 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर जाहिर किया कि वांछित रेकर्ड पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नही है। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

पंचायत प्रसार अधिकारी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के पति भंवरलाल पुत्र गुलाबजी जाति दशातरी निवासी बिजोवा के पक्ष में एक निःशुल्क पट्टा संख्या 1873 वर्ष 1972 में राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 267 के उपनियम 2 (क) के तहत जारी किया गया था। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त निःशुल्क आवंटित भूखण्ड का बेचान दिनांक 26.09.2014 को अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में किया गया। उक्त आवंटित भूखण्ड के पट्टे में दर्शाई गई शर्त संख्या 3 के अनुसार ऐसी आवंटित भूमि को हस्तान्तरण करने का कोई अधिकार आवंटी को नहीं होगा, किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा नियम विरूद्ध भूखण्ड का बेचान किया है, जो भूखण्ड आवंटन की शर्तो का उल्लंघन है। इसी प्रकार शर्त संख्या 8 के अनुसार आवंटी को भूखण्ड आवंटन के 2 वर्षो में निर्माण कार्य करवाना आज्ञापक था, किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा वर्ष 2014 तक उक्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं करवाया गया। इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 के पति के पक्ष में जारी जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा शर्तो की अवहेलना करने के कारण खारिज योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को निरस्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के पति को उक्त भूखण्ड आवंटन होने के पश्चात उनके द्वारा इस पर झोंपडी का निर्माण किया गया था, जो कालान्तर में ढह जाने के कारण उक्त भूमि को भूखण्ड के रूप में दर्शाते हुए बेचान किया गया है। इस सम्बन्ध में क्रेता सन्तोष पत्नि विजयगिरी द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क0ख0) पाली के समक्ष स्थायी एवं

अति० जिला कलक्टर, पाली

आज्ञात्मक निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 08.04.2017 को डिक्री पारित करते हुए खरीद के आधार पर वादीया का हक अधिकार माना है तथा जिसमें प्रतिवादीगण को दखल अन्दाजी नहीं करने एवं न ही अन्य किसी से कराने के आदेश पारित किये गये है। जिसमें राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर पाली को भी पाबन्द किया गया है। इस कारण निगरानी बलहीन होने से खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। विकास अधिकारी पंचायत समिति द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, बिजोवा द्वारा राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 267 के उप नियम 2(क) के तहत जारी पट्टा संख्या 1893 वर्ष 1972 के विरूद्ध पेश की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख अनुसार जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पति/पिता भंवरलाल के पक्ष में जारी किया है। भंवरलाल फौत होने के पश्चात उक्त पट्टासुदा भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 26.09.2014 को अप्रार्थी संख्या 3 को विक्रय किया है। इसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 3 के कब्जे में दखल अन्दाजी करने पर अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क0ख0) पाली के समक्ष स्थायी एवं आज्ञात्मक निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 08.04.2017 को डिक्री पारित करते हुए खरीद के आधार पर वादीया (अप्रार्थी संख्या 3) का हक अधिकार माना है तथा जिसमें प्रतिवादीगण को दखल अन्दाजी नहीं करने एवं न ही अन्य किसी से कराने के आदेश पारित किये गये है। जिसमें राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर पाली को भी पाबन्द किया गया है। इस अनुसार इस स्तर पर निगरानी के जरिये यदि किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाता है, तो माननीय न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क0ख0) पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.04.2017 के अवहेलना होगी।

परिणाम स्वरूप इस स्तर पर निगरानी पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत बिजोवा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 26/2/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली